भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1125

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में पीएमएमवीवाई का कार्यान्वयन

1125. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए तमिलनाडु राज्य को अभी तक अपने हिस्से की धनराशि जारी नहीं की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलंब का योजना के लाभार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य में इस योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या और लाभ प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या में अंतर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) राज्य में पीएमएमवीवाई के लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(च) क्या सरकार लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की राशि बढ़ाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत, 2017-18 में इस स्कीम की शुरूआत से तथा 02.12.2023 तक 3.59 करोड से अधिक लाभार्थियों को नामित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान 3.21 करोड से अधिक लाभार्थियों को 14,428.35 करोड़ रुपये (जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है) से अधिक के मातृत्व लाभों (केंद्र और राज्य दोनों सहित) का वितरण किया गया है।

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत राज्य में 2017-18 में इस स्कीम की शुरूआत से तथा नवम्बर, 2023 तक 20.23 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम की शुरूआत से तथा 02.12.2023 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु

राज्य सरकार को 370.11 करोड रुपए तक की राशि की निधियों का केन्द्रीय हिस्सा भी जारी किया जा चुका है।

(ख) और (ग): तमिलनाडु सरकार के पास उनके राज्य नोडल ऐजेंसी (एसएनए) खाते में 143 करोड रुपए से अधिक की व्यय न की गई शेष राशि मौजूद है। अत: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकारको निधियों का कोई केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया है। चूंकि राज्य सरकार के पास अपने एसएनए खाते में उपलब्ध मातृत्व लाभ के वितरण हेतु पर्याप्त निधियां हैं। इसलिए लाभार्थियों को निधियों के वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु तमिलनाडु सरकार ने स्कीम से संबद्ध विभिन्न प्रशासनिक यूनिटों और क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षक अधिकारियों के एलजीडी कोडों के मानचित्रण हेतु प्रमुख आंकड़े काफी देरी से उपलब्ध करवाए हैं। यह मास्टर डाटा पीएमएमवीवाई पोर्टल (पीएमएमवीवाईसोफ्ट एमआईएस) के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसलिए इसके देरी से प्राप्त होने के कारण भी तमिलनाडु में पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभों के वितरण में कुछ विलम्ब हुआ है।

(घ): सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को कागज रहित बनाते हुए मोबाइल ऐप की शुरूआत तथा एक समर्पित पोर्टल (पीएमएमवीवाईसोफ्ट एमआईएस) की शुरूआत के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटाइज बना दिया है। पीएमएमवीवाई-सॉफ्ट एमआईएस का यूआरएल https://pmmvy.wcd.gov.in है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सरल है और समझने में काफी आसान है, जो एक सुसंगत और सीधी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) मोबाइल ऐप या पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर ऑनलाइन लाभार्थियों के फॉर्म भरती हैं। इसके अलावा, पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर लाभार्थी के स्व-पंजीकरण का प्रावधान किया गया है ताकि लाभार्थी या लाभार्थी की ओर से कोई व्यक्ति पीएमएमवीवाईसॉफ्ट एमआईएस पर पंजीकरण करवा सके।

आगे की सभी प्रक्रियाएं अर्थात आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन, और लाभ का भुगतान, पर्यवेक्षक / सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन किया जाता है; बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ)/चिकित्सा अधिकारी (एमओ); और राज्य नोडल अधिकारी। तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकित लाभार्थियों की संख्या और मातृत्व लाभ प्रदान किए गए लाभाथयों की संख्या के बीच कोई अंतर अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के कारण है- (i) लाभाथयों ने बच्चे के जन्म का पंजीकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण पूरा करने आदि जैसी किस्तों की प्राप्ति के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शर्तों को अभी तक पूरा न किया हो; (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापित/अनुमोदन नहीं किया गया हो; (iii) संबंधित लाभार्थी के लिए भुगतान राज्य नोडल अधिकारी आदि द्वारा नहीं किया गया हो।

(ड.): इस स्कीम की शुरूआत से तथा नवम्बर, 2023 तक तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु में पीएमएमवीवाई - एमआरएमबीएस के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में है।

(च): मिशन शक्ति के अंतर्गत ,इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत जन्म से पूर्व लिंग के चयन को हतोत्साहित करने और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे बच्चे के जन्म पर भी, यदि दूसरा बच्चा लडकी हो तो, 6,000/- रुपए तक की राशि का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।

अनुबंध

'तमिलनाडु में पीएमएमवीवाई का कार्यान्वयन' के संबंध में सुश्री एस. जोथिमनी द्वारा दिनांक 08.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1125 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इस स्कीम की शुरूआत से तथा नवंबर, 2023 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी मातृत्व लाभ स्कीम (पीएमएमवीवाई-एमआरएमबीएस), के अंतर्गत तमिलनाडु में नामांकित लाभार्थियों की संख्या का जिलावार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या
1	अरियालूर	26,461
2	चैंगलपट्टू*	11,551
3	चेन्नई	1,42,711
4	कोयंबटूर	1,10,715
5	कुड्डालोर	79,738
6	धर्मपुरी	49,564
7	डिंडीगुल	58,803
8	इरोड	52,288
9	कल्लाकुरिची*	6,043
10	कांचीपुरम	1,00,565
11	कन्याकुमारी	43,606
12	करूर	27,858
13	कृष्णागिरी	54,097
14	मदुरै	94,105
15	मयिलादुथुराई*	4,979
16	नागपट्टिनम	39,024
17	नमक्कल	43,214
18	पेरम्बलूर	18,442
19	पुदुक्कोट्टई	52,358
20	रामनाथपुरम	37,577
21	रानीपेट*	4,399
22	सलेम	1,01,405
23	शिवगंगा	40,543
24	तेनकासी*	3,812
25	तंजावुर	59,280
26	नीलगिरी	14,682
27	थेनी	35,648
28	तिरुवल्लुर	78,275
29	थिरुवरुर	36,779
30	तिरुचिरापल्ली	74,644
31	तिरुनेलवेली	76,710
32	तिरुप्पूर	67,624
33	तिरुपत्तूर*	5,702
34	तिरुवन्नामलाई	74,026
35	तूतीकोरिन	43,538
36	वेल्लोर	1,03,715
37	विल्लुपुरम	97,072
38	विरुधुनगर	52,070
	कुल	**2023623**

* 2022 में नया जिला बनाया गया

*****